न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 25/2017

अपीलान्ट्स

1. पुखराज पुत्र भंवरलाल
2. कानाराम पुत्र भंवरलाल
   2/1 खींवराज पुत्र कानाराम
   2/2 बस्तीराम पुत्र कानाराम
3. पुसाराम पुत्र सुखाराम
   3/1 नरपतसिंह पुत्र पुसाराम
   3/2 सन्तोषसिंह पुत्र पुसाराम
4. मदनसिंह पुत्र धन्नाराम
5. राजेन्द्रसिंह पुत्र धन्नाराम
6. रणजीत सिंह पुत्र धन्नाराम
7. रामदयाल पुत्र धन्नाराम
8. कैलाश पुत्र धन्नाराम
9. सीतादेवी बेवा धन्नाराम
10. जयसिंह पुत्र बाबुलाल
11. माणकसिंह पुत्र बाबुलाल
12. मोहनसिंह पुत्र बाबुलाल
13. विजयसिंह पुत्र बाबुलाल

सभी जातियान माली निवासीयान् ग्राम बासनी तम्बोलिया तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

हरदेवराम पुत्र जोराराम जाति माली निवासी ग्राम बासनी तम्बोलिया तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 28.06.2008 जो मुकेश चौधरी तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 02/07 हरदेवराम बनाम कानाराम में परित, जिसके तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया गया ।

———

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट संख्या 6 की ओर से अभिभाषक श्री बाबूलाल विश्नोई उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक स्नेहलता सांखला उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक :—**08.01.2020**

1. यह प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के राजस्व निगरानी संख्या 3672/2012 निर्णय दिनांक 02.08.2017 जो इस न्यायालय के राजस्व अपील संख्या 19/2010 निर्णय दिनांक 27.12.2010 के विरूद्ध निगरानीकार रणजीत सिंह पुत्र धन्नाराम जाति माली द्वारा प्रस्तुत करने पर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि निगरानीकार को पक्षकार बनाकर उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर रीजण्ड व स्पीकिंग निर्णय पारित करे। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रणजीत सिंह को नोटिस जारी किया गया। रणजीत सिंह की ओर से बी0 एल0 विश्नोई ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। उक्त निगरानी पुनः प्राप्त होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के फौत होने की जानकारी होने पर उनके उत्तराधिकारियों को कायम मुकाम बनाया गया।
2. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 28.06.2008 जो मुकेश चौधरी तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 02/07 हरदेवराम बनाम कानाराम में पारित, जिसके तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया गया है के प्रस्तुत की गयी है। यह प्रकरण माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर से दिनांक 15—3—2010 के द्वारा इस न्यायालय को स्थानान्तरण करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रत्यर्थी ने एक प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी खसरा नंबर 40/4 मौजा बासनी तम्बोलिया का खातेदार है जिसमे आने जाने हेतु एक कदिमी रास्ता खसरा नंबर 9 मे से होता हुआ खसरा नंबर 39 की दक्षिणी माठ के सहारे—सहारे चलता आया हुआ है, जो आज दिन भी मौजूद है, इस रास्ते पर कांटे व पत्थर डाल दिये है व रास्ता बंद करने की मंशा रखते है। उक्त आशय के प्रकरण के पेश होने पर अपीलार्थीगण—अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे यह बताया कि खसरा नंबर 40/4 मूल खसरा नंबर 40 मौजा बासनी तम्बोलिया का हिस्सा है, जिसमे आने—जाने के लिये एक रास्ता खसरा नंबर 9 मे से दिया जा चुका है तथा अब आगे अगर मूल खसरे के सह खातेदार या उनके वारिसान् अगर बंटवाड़ा करते है तो पूर्व मे जो रास्ता दिया गया था उसी के आगे बंटवाड़े मे रास्ते की व्यवस्था कर सकते है न कि बंटवाड़े के अनुसार मिली हुई भूमि मे अलग—अलग रास्ता उनके पड़ौसियों से मांग नही कर सकते, उनको अपनी सुविधा अनुसार अपने मूल खाते में से ही भूमि छोड़कर रास्ता रखना होगा।

3. उक्त जवाब के जवाबुल जवाब के तौर पर न्यायालय की बिना अनुमति के प्रस्तुत किया जिसकी स्वीकृति आज दिन तक रेकर्ड पर लेने नहीं दी गई जिसमे प्रार्थी ने यह बताया कि खसरा नंबर 9 के खातेदारों के बीच बंटवाड़े को लेकर विवाद चला था, जिसमे उन्होनें राजीनामा कर लिया उक्त राजीनामें के अनुसार उन्होने अपनी सुविधानुसार रास्ते भी छोड़े है, जिसके अनुसार खसरा नंबर 39 तक रास्ता जाता है। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 40 मे दो रास्ते खसरा नंबर 9 में से दिये गये है, जो आज भी चालू है एवं मौके की स्थिति जरिये कमिश्नर मंगवाई जावे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने नायब तहसीलदार, जोधपुर को कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गई।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई साक्ष्य सबूत लिये वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनकर आदेश पारित कर खेत खसरा नंबर 9 में एक नया रास्ता जो इसी खसरे मे तीसरा रास्ता है खोले जाने का आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत हुई थी जिसको न्यायालय ने स्वीकार कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर तथा साक्ष्य सबूत कलमबद्ध कर नये सिरे से निर्णय पारित करे। उसके पश्चात प्रकरण पुनः दर्ज किया गया एवं विधि विरूद्ध तरीके से निर्णित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी ने प्रस्तुत की। उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस को सुनी गयी।
5. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री बी.एल.विश्नोई ने अपनी बहस शुरू करते हुए अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बासनी तम्बोलिया तहसील जोधपुर के खसरा नं. 40/4 में आने जाने हेतु एक रास्ता कदीमी से चल रहा था। उक्त रास्ता खसरा नं. 9 में होता हुआ खसरा नं. 39 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे चल रहा था जो आज भी रास्ते के रुप में काम आ रहा था। इस रास्ते पर कांटे व पत्थर डाल कर चलते हुए रास्ते को बंद कर दिया है।
6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में यह भी कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 में वर्णित प्रावधानों की अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखी कर निर्णय पारित किया है जो काबिले निरस्त योग्य है।
7. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि मूल खसरा नं. 40 का विभाजन आज दिनांक तक नहीं हुआ है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त खसरा नं. 40/4 को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जो कतई मानने योग्य है। अपीलार्थी हमेशा ही कदीमी चलते रास्ते को खुलवाने हेतु मांग करता रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर किसी प्रकार का कोई गौर किये बिना

ही एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया है जो नैसर्गिक न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य होना बताया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नायब तहसीलदार जोधपुर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर भी किसी प्रकार का गौर नहीं किया जबकि नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय गौर करता तो निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में पारित होने की पूर्ण संभावना थी। उन्होंने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि खसरा नं. 40 एक ही है इस बीच में कोई तरमीम या बंटवाड़े नहीं किये हुए है। खसरा नं. 40 में दो रास्ते खसरा नं. 9 से भी उपलब्ध है। इस प्रकार नया रास्ता कायम करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालयय को नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अनुसार कदिमी रास्ता को बंद नहीं किया जा सकता परन्तु प्रार्थी ने यह कहीं नहीं बताया कि उसका कदिमी रास्ता था भी या नहीं एवं बंद किया गया है, किसने व कब बंद किया इन सभी तथ्यों का अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में नहीं किया है।
9. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना ज्युडिसियल माईन्ड अप्लाई किये आलौच्य आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य होना बताया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.6.2008 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक श्री स्नेहलता सांखला ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नं. 9 सरकारी भूमि है इसके संबंध में एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर के न्यायालय में सरकार बनाम मोहनसिंह, मोहनलाल बनाम जयसिंह के नाम से विचाराधीन है।
11. रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा नं. 40/4 राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि का अंकन होना बताया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को समुचित अवसर प्रदान करते हुए व साक्ष्य दर्ज करने के पश्चात ही राजस्थान कातश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होना बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।
12. अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक स्नेहलता सांखला ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के राजस्व निगरानी संख्या

3672/2012 निर्णय दिनांक 02.08.2017 जो इस न्यायालय के राजस्व अपील संख्या 19/2010 निर्णय दिनांक 27.12.2010 के विरूद्ध निगरानीकार रणजीत सिंह पुत्र धन्नाराम जाति माली द्वारा प्रस्तुत करने पर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि निगरानीकार को पक्षकार बनाकर उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर रीजण्ड व स्पीकिंग निर्णय पारित करे तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 21.08.2007 में ''अप्रार्थीगण खसरा नं0 9 व 34 से गुजरने वाले रास्ते, जो इकरारनामा में दिखाया गया है, पर किये गये अवरोध को 15 दिवस में हटा लें।'' आदेश पारित किया गया है। नक्शे में खसरा नं0 34 कहां है और इसकी क्या स्थिति है, इस संबंध में निर्णय में कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस सबंधं में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इकरारनामें के अनुसार खसरा नं0 34 की जगह खसर नं0 39 अंकित होना चाहिए जो कि लिपिकीय त्रुटि है। खसरा नं0 9 में से रास्ता खसरा नं0 38 व 39 की माठ से होता हुआ खसरा नं0 40 की ओर जाता है। अतः खसरा नं0 9 से खसरा नं0 38, 39 व 40 में जाने का एकमात्र रास्ता है।

13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवम उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट की ओर से प्रमुख आधार यह लिया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि का कृषि उपयोग नहीं किया जा रहा है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि उपयोग के लिए ही रास्ता खुलवाये जाने का प्रावधान है। इसके विपरित रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि उनके खातेदारी की भूमि सख्या 40/4 पूर्णत कृषि भूमि है। कानूनी स्थिति का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त धारा 251 ए के तहत खातेदारी काश्तकार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि भूधारक के मार्गाधिकार या सुखाचार के संबंध में यह अधिकार प्रदत्त किया गया है कि ऐसा भूधारक अपने सम्पति के उपभोग में विध्न डाले जाने की दशा में तहसीलदार को आवेदन करेगा और तहसीलदार संक्षिप्त जांच करने के पश्चात ऐसे विघ्न को हटाये जाने या उसको रोके जाने के आदेश दे सकेगा और ऐसे भूधारक को ऐसे उपभोग प्रत्यावर्तन का आदेश दे सकेगा। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के खाते में खसरा नं. 40/4 की भूमि खातेदारी के रूप में दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई रेकर्ड अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त भूमि खसरा नं. 40/4 का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा हो। यदि ऐसी स्थिति भी बनती हो तो भी उक्त धारा 251 के प्रावधान के तहत तहसीलदार को कार्यवाही करने से नहीं रोकती। रेस्पोडेन्ट द्वारा बंटवारे नामे की प्रति पेश कर प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त रास्ता नक्शे में प्रदर्शित किया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक

28.6.2008 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई के पश्चात एवम विधिक विचार करने के पश्चात पारित किया है। अतः न्यायालय उक्त निर्णय में हस्तक्षेप उचित व न्यायसंगत नहीं मानता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.02.11 15:34:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: